

विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2023 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित श्री भीमराव अम्बेडकर, मा. सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं-18 का उत्तर

| प्रश्न                                                                                                                                 | उत्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18(क) क्या आबकारी मंत्री बतायेंगे कि उ०प्र० सरकार देशी शराब को बनाने एवं विक्रय का प्रबन्ध करती है?                                    | जी हाँ।<br>संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा-24 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार के अधीन प्रदेश में देशी मदिरा का निर्माण एवं विक्रय के लिये एकान्तिक विशेषाधिकार दिया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (ख) यदि हाँ, तो शराब का सेवन करने से लोगो के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने से बड़े पैमाने पर लोगो का जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है? | आबकारी राजस्व से प्राप्त होने वाले राजस्व का उपयोग राज्य की विकास योजनाओं को संचालित किये जाने में किया जाता है। प्रदेश में पूर्ण शराब बन्दी से राज्य सरकार को भारी राजस्व से वंचित होना पड़ेगा तथा राज्य की विकास योजनायें प्रभावित हो सकती हैं, जो जनहित में नहीं होगा। इसके अतिरिक्त शराब बन्दी से अपायकर अवैध मदिरा के निर्माण/तस्करी से जहाँ एक ओर राजस्व की हानि होगी वहीं दूसरी ओर इसके उपभोग से जनस्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। |
| (ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार उ०प्र० में पूर्ण शराब बन्दी कराने पर विचार करेगी?                                                           | उपरोक्तानुसार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (घ) यदि हाँ, तो कब तक?                                                                                                                 | उपरोक्तानुसार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (ड.) यदि नहीं, तो क्यों?                                                                                                               | प्रश्न नहीं उठता।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**नितिन अग्रवाल**

राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)

आबकारी विभाग।